राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक :–एफ.वी-.(60)प.पा./विस्तार/2015/1204 दिनांक : 24/9/15

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
जयपुर

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में पशुपालक सम्मान समारोह योजनान्तर्गत महिला पशुपालकों के चयन हेतु मार्गदर्शिका ।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पशुपालक सम्मान समारोह योजना के तहत प्रगतिशील पशुपालकों का चयन किये जाने के लिए विस्तृत योजना आधारित मार्गदर्शिका निम्नानुसार है।

योजना का उद्देश्य

- पशुपालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न करना।
- पशुपालकों को समृद्ध एवं उन्नत नस्ल के पशुओं को रखने की ओर प्रेरित करना एवं उस दिशा में पशुपालकों का उत्साहवर्धन करना।
- आधुनिक तथा नवीनतम तकनीकी द्वारा पशु देखभाल करने से उत्पादकता पर प्रभाव को दर्शाना।
- नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान/उन्नत नस्ल के सांड द्वारा प्राकृतिक परिसेवा की महत्ता को सुस्थापित करना तथा अधिक उत्पादन हेतु कृत्रिम गर्भाधान से उत्पादित हुए पशुओं की उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन कर अन्य पशुपालकों को प्रोत्साहित करना।
- पशुपालको का आर्थिक एवं सामाजिक विकास कर उन्हें पशुधन विकास की मूल धारा से जोड़ना है।
- योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालकों को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित करना।

पात्रता

योजनान्तर्गत पशुपालकों का चयन करते समय निम्नानुसार मापदण्डों को ध्यान में रखा जावें –

1. पशुपालक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिये।
2. **योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रगतिशील महिला पशुपालकों का ही चयन किया जाना है।**
3. पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार कर पशुधन उत्पादन के क्षेत्र मे नये आयाम स्थापित किये हों जो प्रदेश के अन्य पशुपालकों के लिये प्रेरणा का स्त्रोत बन सकें।
4. पशुपालन की नवीनतम तकनीक का उपयोग कर अच्छे पशुओं का पालन करता हो। दुग्ध उत्पादन उल्लेखनीय हो। नियमित टीकाकरण, कृमिनाशक दवा का उपयोग करता हो एवं वत्स में मृत्यु दर कम हो।
5. विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं /कार्यक्रमों की जानकारी रखता हो एवं उनका लाभ भी प्राप्त करता हो।

6. विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/ प्रतियोगिताओं (जैसे दूग्ध प्रतियोगिता, कॉफ रैली, पशु मेलों में आयोजित नस्ल एवं उत्पादन से सम्बन्धित पशु प्रतियोगितायें आदि) में पुरूस्कृत हो चुके पशुपालकों को प्राथमिकता ।
7. निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी अपने क्षैत्र के अग्रणी पशुपालक का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। इस हेतु पशुपालक को अपने पशुधन एवं उपलब्धियों का विवरण समीपस्थ पशु चिकित्सा संस्था की अनुशंसा सहित प्रार्थना पत्र संबन्धित जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
8. पशुपालक स्वयं भी अपने पशुधन एवं उपलब्धियों का विवरण समीपस्थ पशु चिकित्सा संस्था की अनुशंसा सहित प्रार्थना पत्र संबन्धित जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को भी प्रस्तुत कर सकता है।
9. पशुपालक, पशु प्रबन्धन, पशु आवास व्यवस्था, संतुलित आहार आदि के सम्बन्ध मे उन्नत तकनीकी ज्ञान के साथ–साथ वास्तविकता में इन तकनीकों को अपनाता हो।

चयन प्रक्रिया :–

1. योजनान्तर्गत निर्धारित चयन समिति द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्राप्त कुल आवेदन पत्रो में से प्रथम तीन स्थानों के लिये वरीयता क्रम निर्धारण करते हुए प्रथम स्थान पर एक पशुपालक का चयन किया जावेगा।
2. पंचायत समिति स्तर पर प्रथम स्थान पर रहे चयनित पशुपालकों में से जिला स्तर पर दो पशुपालको का चयन किया जावेगा एवं जिला स्तर पर चयनित पशुपालकों में से राज्य स्तर पर दो पशुपालकों का चयन किया जावेगा। चयनित पशुपालक को एक ही स्तर पर पुरस्कृत किया जावेगा अर्थात राज्य स्तर पर चयनित पशुपालक को जिला स्तर का पुरस्कार देय नहीं होगा एवं जिला स्तर पर चयनित पशुपालक को पंचायत समिति स्तर का पुरस्कार देय नहीं होगा।
3. कुल 294 पंचायत समितियों में से प्रत्येक पंचायत समिति से एक पशुपालक को पुरस्कृत किया जावेगा। कुचामन सिटी सहित कुल 34 जिलों से प्रत्येक जिलें से दो पशुपालकों का कुल 68 पशुपालकों का चयन किया जावेगा। वर्ष 2015–16 में जिला स्तर पर चयनित 68 पशुपालकों में से राज्य स्तर पर दो पशुपालकों का चयन किया जावेगा। राज्य स्तर पर चयन हेतु आवेदन सहित पूर्ण पत्रावली जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से उप निदेशक, विस्तार, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे प्रस्तावों के लिये संबन्धित जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा प्रस्तावक के डेयरी आदि का निरीक्षण एवं सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होगा।
4. पंचायत समिति स्तर पर प्रथम रहे पशुपालक का चयन जिला स्तर पर होने की स्थिति में उसी पंचायत समिति से द्वितीय स्थान पर रहे पशुपालक का चयन किया जावेगा।
5. जिला स्तर पर चयनित पशुपालकों में से दो पशुपालकों का चयन राज्य स्तर पर किया जावेगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर चयनित पशुपालकों में से राज्य स्तर पर चयन होने की स्थिति में उसी जिले में तृतीय स्थान पर रहे पशुपालक का चयन जिला स्तर पर किया जावेगा।
6. प्रत्येक जिला स्तर पर दो महिला पशुपालको का चयन किया जाना है। कम से कम तीन महिला पशुपालको की सूची वरीयता अनुरूप क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंकित कर पूर्ण प्रस्ताव भिजवाये ताकि जिला स्तर पर चयनित महिला पशुपालक का चयन राज्य स्तर पर हो

जाने की स्थिति मे वरियता क्रमांक तीन पर अंकित महिला पशुपालक को जिला स्तर पर चयनित कर लिया जावेगा, तथा इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक महिला पशुपालक का चयन किया जाना है। चयन समिति द्वारा कम से कम तीन–तीन महिला पशुपालको की सूची वरीयता अनुरूप क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंकित कर पूर्ण प्रस्ताव भिजवाये ताकि पंचायत समिति स्तर से चयनित पशुपालक का चयन जिला स्तर पर चयनित होने की स्थिति में उसी पंचायत समिति पर अगली वरीयता के पशुपालक का चयन कर लिया जायेगा।

चयन समिति :–

पंचायत समिति स्तर पर :–

1	उप खण्ड अधिकारी /तहसीलदार/ विकास अधिकारी पंचायत समिति	अध्यक्ष
2	संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव
3	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी	सदस्य

जिला स्तर पर :–

1	जिला कलेक्टर/सहायक जिला कलेक्टर/प्रतिनिधी	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग	उपाध्यक्ष
3	परियोजना निदेशक (आत्मा)	सदस्य
4	प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक, पशुपालन	सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर :–

1	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, पशुपालन	अध्यक्ष
2	प्रबंध निदेशक, आर.सी.डी.एफ., जयपुर	सदस्य
3	निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव
4	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड,	सदस्य
5	अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, पशु पालन विभाग	सदस्य
6	संयुक्त निदेशक, नोडल अधिकारी (आत्मा), कृषि विभाग	सदस्य

उपरोक्तानुसार चयन समिति द्वारा चयनित पशुपालकों की सूची का अनुमोदन माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा। विभिन्न स्तरों पर चयनित पशुपालकों को राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह का आयोजन कर पारितोषिक प्रदान किया जायेगा।